

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क. 4466 / 2154/2017/12/1

भोपाल, दिनांक 15/11/2017

प्रति,

✓ कलेक्टर,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश।

संदर्भ:- विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 3931/1752/2017/12/1 दिनांक 03.10.2017

मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 1057/आर/डी.एम.सी./डी.एम.सी./चार/2017 दिनांक 21.08.2017 का कृपया अवलोकन करें। खनिज साधन विभाग द्वारा संदर्भित ज्ञापन दिनांक 03.10.2017 द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। अतः वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 21.08.2017 के स्थान पर विभाग द्वारा जारी निर्देश प्रभावशील होंगे। जिला खनिज प्रतिष्ठान के कार्यों के लिये मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2ml
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क. /2154/2017/12/1

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला खनिज अधिकारी मध्यप्रदेश।
5. गार्ड फाईल।

उप सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग